रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2013/भाद्र 4, 1935
No. 425] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2013/BHADRA 4, 1935

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 568(अ).—केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 29 की उप-धारा (2) के उप-खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में मुख्य इंजीनियर (लेबल-I), मुख्य इंजीनियर (लेबल-II) और सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मुख्य इंजीनियर (लेबल-I), मुख्य इंजीनियर (लेबल-II) और सचिव समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन, वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मुख्य इंजीनियर (लेबल-I)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-4, 37,400-67,000 रु. + ग्रेड वेतन 10,000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रोन्नति : (i) ऐसे मुख्य इंजीनियर (लेबल-II) या ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सचिव जिनकी श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा है; या (ii) ऐसे मुख्य इंजिनियर (लेबल-II) या सचिव और उप-मुख्य इंजीनियर श्रेणी में तीन वर्ष की सम्मिलित सेवा है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या लोक उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(11)
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन बैंड-4, वेतनमान 37,400-67,000 रु. + ग्रेड वेतन 8,900 रु. श्रेणी में अपर मुख्य इंजीनियर का पद धारण किए हुए दो वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या अपर मुख्य इंजीनियर और उप-मुख्य इंजीनियर श्रेणी में तीन वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा रखते हैं; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं: **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; (ii) अन्वेषण, योजना बनाने, डिजाइन, कार्यान्वयन, जल संसाधनों के संचालन और प्रबंध के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव; या (iii) मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंध की व्यापक परियोजना, नदी प्रशिक्षण कार्य की तैयारी और सामान्य प्रशासन में सात वर्ष का अनुभव एक अतिरिक्त अर्हता होगी । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1. सदस्य, योजना आयोग (जल संसाधन) - अध्यक्ष 2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य 3. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मुख्य इंजीनियर (लेवल II)	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-4, 37,400-67,000 रु. + ग्रेड वेतन 8,900 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रोन्नति : ऐसे अधीक्षण इंजीनियर से जिनकी श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा है। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या लोक उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन 8,700 रु. की श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद धारण किए हुए है; या (iii) जो वेतन बैंड 3 + ग्रेड वेतन 7,600 रु. की श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद धारण किए हुए हैं; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं; **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और (ii) अन्वेषण, योजना बनाने, डिजाइन, कार्यान्वयन, जल संसाधनों के संचालन और प्रबंध के क्षेत्र में छह वर्ष का अनुभव; या (iii) मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंध की व्यापक परियोजना, नदी प्रशिक्षण कार्य की तैयारी और सामान्य प्रशासन में छह वर्ष का अनुभव एक अतिरिक्त अर्हता होगी । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
1. सदस्य, योजना आयोग (जल संसाधन) - अध्यक्ष 2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य 3. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सचिव	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-4, 37,400-67,200 रु. + ग्रेड वेतन 8,900 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	**प्रोन्नति :** ऐसे अधीक्षण इंजीनियर से जिनकी श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा है। **प्रतिनियुक्ति :-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या लोक के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या संविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन 8,700 रु. की श्रेणी दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद धारण किए हुए है; या (iii) जो वेतन बैंड-3 + ग्रेड वेतन 7,600 रु. की श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद धारण किए हुए हैं; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और (ii) अन्वेषण, योजना बनाने, डिजाइन, कार्यान्वयन, जल संसाधनों के संचालन और प्रबंध के क्षेत्र में छह वर्ष का अनुभव; या (iii) मास्टर प्लान, बाढ़ प्रबंध की व्यापक परियोजना, नदी प्रशिक्षण कार्य की तैयारी और सामान्य प्रशासन में छह वर्ष का अनुभव एक अतिरिक्त अर्हता होगी। (ग) (i) केन्द्रीय सरकार में अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय या राज्य सरकारों में वेतन बैंड-4 + ग्रेड वेतन 8,700 रु. में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद धारण किए हुए है; या (ii) जल संसाधन मंत्रालय के कार्य का अनुभव और छह वर्ष

3697 GI/13-2

(11)
की नियमित सेवा रखने वाले ऐसे अधिकारी जो वेतन बैंड - 3 + ग्रेड वेतन 7600 रु. का पद धारण किए हुए हैं।
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
1. सदस्य, योजना आयोग (जल संसाधन) - अध्यक्ष 2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य 3. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 2/16/2010-स्था.-III]

ए. के. कौशिक, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2013

G.S.R. 568(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980), the Central Government in the Ministry of Water Resources hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Chief Engineer (Level - I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary in the Brahmaputra Board, namely : —

1. **Short title and commencement.**— (i) These regulations may be called the Ministry of Water Resources, Brahmaputra Board (Chief Engineer (Level -I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary) Group 'A' Posts Recruitment Regulations, 2013.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay.**—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification**.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Engineer (Level-I).	1*(2013) *Subject to variation dependent on work load.	Group 'A' Non-Ministerial.	Pay band-4, Rs. 37,400—67,000 plus Grade pay of Rs. 10,000	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion : (i) Chief Engineer (Level-II) or Secretary of Brahmaputra Board with two years regular service in the grade; or (ii) With three years combined regular service in the grade of Chief Engineer (Level-II) or Secretary and Deputy Chief Engineer. Deputation (including short term contract): Officers under the Central or State Governments or public sector undertakings or recognised Research Institutions or Statutory Organisations.

(11)

(A) (i) holding an analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) holding the post of Additional Chief Engineer in the Pay band-4 with the pay scale of Rs. 37,400 - 67,000 plus grade pay of Rs. 8900 with two years regular service in the grade or with three years combined regular service in the grades of Additional Chief Engineer and Deputy Chief Engineer; and

(B) possessing the following educational qualification and experience.—

Essential :

(i) Degree in Civil Engineering from a recognized University;

(ii) Seven years experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects; or

(ii) Seven years experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration shall be considered as an additional qualification.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty eight years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which consultation with Union Public Service Commission is necessary.
(12)	(13)
1. Member, Planning Commission (Water Resources) —Chairman 2. Secretary, Department of Personnel and Training —Member 3. Secretary, Ministry of Water Resources —Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Chief Engineer (Level-II).	1*(2013) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A' Non-Ministerial.	Pay band-4, Rs. 37,400 67,000 plus Grade pay of Rs. 8,900	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion:** From amongst the Superintending Engineer with six years regular service in the grade. **Deputation :** From officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognised Research Institutions or statutory organizations : (A) (i) holding an analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in the pay band-4 plus grade pay of Rs. 8700 with two years regular service in the grade; or (iii) holding the post in pay band-3 plus grade pay of Rs. 7600 with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis; and (B) possessing the following educational qualifications and experience. **Essential :** (i) degree in Civil Engineering from a recognized University; and (ii) six years experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution, Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects; or (iii) Six years experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration shall be considered as an additional qualificaiton. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty eight years.

(12)	(13)
1. Member, Planning Commission (Water Resources) — Chairman 2. Secretary, Department of Personnel and Training — Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

(12)

3. Secretary, Ministry of Water Resources - Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Secretary	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Non-Ministerial	Pay band-4, Rs. 37,400-- 67,000 plus Grade pay of Rs. 8,900	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion:** From amongst the Superintending Engineer with six years regular service in the grade. **Deputation :** From officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognised Research Institutions or statutory organizations: (A) (i) holding an analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in the pay band-4 plus grade pay of Rs. 8700 with two years regular service in the grade; or (iii) holding the post in pay band-3 plus grade pay of Rs. 7600 with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis; and (B) possessing the following educational qualifications and experience. **Essential :** (i) degree in Civil Engineering from a recognized University or equivalent; and (ii) six years experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution, Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects; or (iii) six years experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood Management, River Training Works and General Administration shall be considered as an additional qualificaiton; or (C) (i) All India Service officers holding the post in pay band-4 with grade pay of Rs. 8700 with

(11)
two years of regular service in Central Government or State Governments; or (ii) officers holding the post in pay band-3 with grade pay of Rs. 7600 with six years regular service and having experience of working in the Water Resource Department. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty eight years.

(12)	(13)
1 Member, Planning Commission (Water Resources) — Chairman 2 Secretary, Department of Personnel and Training — Member 3 Secretary, Ministry of Water Resources — Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 2/16/2010-E.III]
A.K. KAUSHIK, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 569(अ).—केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 28 की उप धारा (2) के उपखंडों (ख), (घ) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में महाप्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में महाप्रबंधक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन, वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महाप्रबंधक	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन-बैंड-4, 37,400-67,200 रु. + ग्रेड वेतन 10,000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	(अ) प्रोन्नति ऐसे मुख्य इंजीनियर (स्तर-2) या सचिव, ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो वेतनमान 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 10,000, वेतन बैंड-4 में दो वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या मुख्य इंजीनियर (स्तर-2) या सचिव एवं उप मुख्य इंजीनियर की श्रेणी में तीन वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा रखते हैं। (आ) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान

(11)

संस्थानों या संविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में दो वर्ष की नियमित सेवा सदृश पद धारण किए हैं; या

(ii) जो मूल काडर या विभाग वेतनमान 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8,900, वेतन बैंड-4 में अपर मुख्य इंजीनियर का पद धारण किए हैं तथा श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या अपर मुख्य इंजीनियर और उप मुख्य इंजीनियर की श्रेणी में तीन वर्ष की सम्मिलित सेवा रखते हैं; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं:

आवश्यक

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और

(ii) अन्वेषण, योजना बनाने, डिजाइन, कार्यान्वयन, जल

(iii) मास्टर प्लान बाढ़ प्रबंध की व्यापक परियोजना, नदी प्रशिक्षण कार्य की तैयारी और सामान्य प्रशासन में आठ वर्ष का अनुभव; या संसाधनों की विकास परियोजनाओं के संचालन और प्रबंध के क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव।

(ग) अखिल भारतीय सेवा के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे अधिकारी जो वेतनमान 37,000-67,000 रु. + ग्रेड वेतन 8,900 रु. वेतन बैंड-4 के श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं या ऐसे अधिकारी जो जल संसाधन विभाग में ग्रेड वेतन 8700 रु. वेतन बैंड-4 की श्रेणी के पद में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1. सदस्य, योजना आयोग (जल संसाधन) - अध्यक्ष 2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य 3. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 2/16/2010-स्था-III]

ए. के. कौशिक, अवर सचिव

3697 GI/13-4

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2013

G.S.R. 569(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b), (d) and (e) of Sub-section (2) of Section 28 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980), the Central Government in the Ministry of Water Resources hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of General Manager, Brahmaputra Board, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Brahmaputra Board (General Manager), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2013.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay.**—The number of the said post, their classification, and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—No person—**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person:

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. General Manager	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' Non-Ministerial.	Pay band-4, Rs. 37,400—67,000 plus Grade pay Rs. 10,000	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short term contract).	(A) **Promotion:**- from amongst the Chief Engineer (Level-II) or Secretary of Brahmaputra Board with two years regular service in the Pay band-4 Rs. 37,400-67,000 plus grade pay of Rs. 8900 or with three years combined regular service in the grades of Chief Engineer (Level-II) or Secretary and Deputy Chief Engineer. (B) Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or public sector undertakings or recognized Research Institutions or statutory organizations (A) (i) holding analogous post with two years regular service in the grade in the parent cadre of department; or (ii) holding the post of Additional Chief Engineer in the Pay band-4 with pay scale of Rs. 37400—67000 plus grade pay of Rs. 8900 with two years regular service in the grade in the parent cadre or department or with three years combined regular service in the grades of Additional Chief Engineer and Deputy Chief Engineer: and (B) possessing the following educational qualification and experience.— **Essential:** (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University; and (ii) Eight years experience in the field of Investigation, Planning, Design, Execution Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects; or (iii) Eight years experience in the preparation of Master Plans, Comprehensive Plans for Flood management River Training Works and General Administration or

(11)

(C) All India Service officers holding the post in pay band-4 with grade pay of Rs. 8900 with two years of regular service in Central Government or State Government or officers holding the post in Pay band-4 with grade pay of Rs. 8700 with three years regular service and having experience of working in water Resources Department.

Note 1 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation/short term contract shall not exceed fifty eight years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which consultation with Union Public Service Commission is necessary.
(12)	(13)
1. Member, Planning Commission (Water Resources) —Chairman 2. Secretary, Department of Personnel and Training —Member 3. Secretary, Ministry of Water Resources —Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 2/16/2010-E.III]

A.K. KAUSHIK, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054